

ties for export to all growers and their co-operatives all over India, if and when the ban on exports is removed.

(iv) **Need to open recruitment office of armed forces in Pithoragarh District of U.P.**

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में सेना की भर्ती कार्यालय खोले जाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। भारतीय सेना में इस जनपद के 60 हजार से अधिक कार्यरत सैनिक हैं तथा लगभग इतने ही सेवा निवृत्त सैनिक भी हैं। इस जनपद ने देश को कई विक्टोरिया चक्र, परमवीर चक्र, विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त सैनिक दिये हैं। यहां कई परिवार ऐसे हैं जिनकी कई पीढ़ियों से सेना में सेवा करने की पारिवारिक परम्परा रही है। इन परिवारों से सम्बद्ध नौजवान भर्ती कार्यालय दूर होने के कारण भर्ती नहीं हो पाते हैं। इस क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों में इस कारण भारी असन्तोष व्याप्त है। भूतपूर्व सैनिक परिषद् यहां के नागरिकों द्वारा लगातार भर्ती कार्यालय खोले जाने की मांग की जा रही है। अल्मोड़ा स्थित भर्ती कार्यालय या भर्ती शिविरों से इस मांग की पूर्ति नहीं हो सकती है।

सन् 1981 की जन-गणना के अनुसार इस जनपद की जनसंख्या सन् 1981 में 4 लाख 90 हजार के करीब थी और अब 5 लाख से अधिक जनसंख्या है। नेपाल के नौजवान भी यहां से गोरखा पल्टन में भर्ती होने आते हैं।

अतः रक्षा मंत्रालय को पिथौरागढ़ में शीघ्र भर्ती कार्यालय खोलना चाहिए।

(v) **Need to help opium growers of Madhya Pradesh and Rajasthan**

श्री सत्य नारायण जटिया :

(उज्जैन) : मध्य प्रदेश और राजस्थान में विगत मास फरवरी के उत्तरार्ध में अर्धशीत लहर से जहां एक ओर फसलों को भारी क्षति हुई है वहीं दूसरी ओर अफीम की काश्त जो मुख्यतः मध्य प्रदेश के मन्दसौर, रतलाम, उज्जैन, शोजापुर जिलों में तथा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, कोटा और बूंदी जिलों में की जाती है पूरे तौर पर समाप्त हो गयी जिससे करोड़ों रुपये की क्षति हुई है। शीत लहर के कारण किसान आर्थिक विपन्नता के कगार पर वेबस और बेजार असहाय और लाचार हो गया है। केन्द्र सरकार के मादक द्रव्य विभाग के बनाए नियमों के अधीन प्रति हैक्टेयर निर्धारित अफीम उत्पादन अनिवार्य है। अफीम का कच्चा फल "पापी हस्क" जिसे डोढ़ा कहते हैं, में हलका सा चीरा लगाने से दूध सा द्रव्य निकलता है, वह कुछ समय के बाद अफीम के रूप में जम जाता है जिसे एकत्रित कर लिया जाता है। डोढ़े के सूखने के उपरान्त उसमें से पोश्त निकलता है। किसान से अफीम की खरीद केन्द्र सरकार निर्धारित मूल्य पर करती है। अफीम की काश्त के लिए अतिरिक्त साधधानी, एक-एक पौधे की देखरेख पोषण और संभाल की आवश्यकता होती है।

अतएव इस प्राकृतिक विपदा में केन्द्र सरकार से आग्रह है कि नारिकोटिक्स डिपार्टमेंट के नियमों और उपनियमों से व्योपक सर्वेक्षण के आधार पर प्रति हैक्टेयर न्यूनतम अफीम उत्पादन का निर्धारण कर किसान को किसी भी स्थिति में "लाइसेंस" पट्टा निरस्त न करने का आश्वस्त कर राज्यों को निर्देश दे जिससे सभी प्रकार की किसानों से की जाने वाली सरकारी वसूली को

[श्री सत्य नारायण जटिया]

स्थगित किया जाए और जहां संभव हो निरस्त करे और किसान को इस विपदा में पर्याप्त सहायता दी जाये।

(iv) Need to return the land acquired for the proposed Aluminium Project at Ratnagiri to their original owners.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri) : Under Rule 377, I want to bring the following matter of urgent public importance.

Even after 37 years of Independence, Konkan region of Maharashtra and, especially, Ratnagiri and Sindhudurg districts, have been utterly neglected. This area has been deprived of Railway, air, navigation and other communication services.

With a view to promoting industries in this area, a decision to set up one aluminium project at Ratnagiri was taken by BALCO as early as 1960. 2,000 acres of land was acquired from poor farmers at the nominal rates for the purpose of this project. There are 5,000 mango trees in this land. BALCO gets an income of Rs. 70 to 80 thousand per year from this land. The farmers were paid compensation only at the rate of Rs. 50 per guntha (Maharashtrian measurement) and Rs. 100 per mango tree. An assurance was given that after the setting up of the project, the sons of the landowners would be given suitable employment in the project or land would be returned to the owners if the project did not materialise.

BALCO has decided to sell this land to M.I.D.C. of Maharashtra

Government at the rate of Rs. 1,250 per guntha now. It shows that the project will not be set up in future.

If this be true, I will request the Government to return the land to their original owners. If it is not done, I am afraid, the farmers may have to fight against the Government for getting back their land.

(vii) Need to construct a bridge over Yamuna at Namgal or Kundaghat near Lakhauti

श्री रशीव मसूद (सहारनपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार से मिलकर एक पुल जमुना नदी पर लखौती के पास यमुनानगर और कैराना के पुलों के बीच में बनाना मंजूर किया था जिसकी मांग हमने हाउस में कई बार की थी। उसका एलान बाकायदा कर दिया गया था मगर अफसोस की बात यह है कि अब यह पुल जिला सहारनपुर के बजाए मुजफ्फरनगर जिले में कैराना के मौजूदा पुल से सिर्फ दस-बारह किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है जिसकी वजह से जिला सहारनपुर के लोगों को मुस्तकिल परेशानी बनी रहेगी। डेफेन्स के नुक्ते नजर से भी जमुना पर लखौती के सामने पुल बनाना जरूरी है ताकि रुड़की, जो मिलिटरी छावनी है, से सरहदों पर फौजों को जाने में परेशानी न हो। इसलिए मेरी सरकार से दरखास्त है कि जमुना पर जो पुल कैराना और जमुना नगर के बीच बनना मंजूर हुआ है उसको लखौती के सामने नांगल या कुंडा-घाट पर बनाया जाए।